न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
007/2020(रसद) (GCMS 2020/00218)	01.07.2020	06.10.2021

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये पिंकी स्वर्णकार प्रवर्तन निरीक्षक, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. राजू सोनी पिता रतन लाल सोनी
निवास स्थल R/O 29 राजीव कॉलोनी,
मीरा नगर चित्तौड़गढ़ (मो.नं. 9314155541)
2. राजेन्द्र कुमार पिता नगन नारायण जाति तम्बोली
उम्र 22 साल R/O मगरी थाना सागर सुल्तानपुर जिला शिवान, बिहार
हाल निवासी मकान नं. 79 पन्नाधाय कॉलोनी चित्तौड़गढ़।

विपक्षी

उपस्थिति :– हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी — पैरोकार सरकार
एक तरफा — विपक्षी

प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक पिंकी स्वर्णकार, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया दिनांक 17.02.2020 को 2.15 बजे सर्किल इंस्पेक्टर शिवलाल मीणा द्वारा जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को सूचित किया कि राजू सोनी पिता रतनलाल सोनी द्वारा अपने निवास स्थल R/O राजीव कॉलोनी, मीरानगर चित्तौड़गढ़ में घरेलू गैस का अवैध रूप से भण्डारण एवं व्यावसायिक वाहनों में अवैध रिफिलिंग की जा रही है। उक्त सूचना के आधार पर आवेदक बहमराह शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक, बीजल सुराणा जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ के साथ मौके पर पहुँचें। मौके पर पहुँच कर अवैध रूप से घरेलू गैस के भंडारण एवं अवैध रिफिलिंग की पूछताछ पर बताया गया

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

कि यह कार्य राजू सोनी पिता रतनलाल सोनी द्वारा स्वयं अपने निजी आवास पर किया जा रहा है। मौके पर गजेन्द्र कुमार पिता नगन नारायण जाति तम्बोली उम्र 22 **R/O** मगरी थाना सागर सुल्तानपुर जिला शिवान बिहार द्वारा राजू सोनी के निवास स्थल पर स्थित दुकान में अवैध रूप से घरेलू गैस रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था। गजेन्द्र कुमार से पूछताछ पर बताया गया कि वह कार्मिक के तौर पर यहाँ काम करता है एवं मूल रूप से बिहार का निवासी है वर्तमान में मकान नं. 79 पन्नाधाय कॉलोनी चित्तौड़गढ़ में निवास करता है। मौके पर ही घरेलू गैस के अवैध भंडारण एवं रिफिलिंग के दस्तावेजों की राजू सोनी से मांग की तो उन्होंने किसी प्रकार के दस्तावेज होने से मना कर दिया। मौके पर राजू सोनी के निवास स्थल स्थित दुकान से घरेलू गैस के 72 सिलेण्डर एवं कमर्शियल गैस के 12 सिलेण्डर 2 रिफिलिंग मोटर जिनमें **1 AVDHOOT** कम्पनी **0.75** एचपी की एवं 1 **hi – tone 0.75** एचपी की एवं 4 रिफिलिंग पाइप मय 4 नोजल को डिटेन किया गया। मौके पर घरेलू गैस एवं कमर्शियल गैस सिलेण्डरों जिनकी कुल संख्या 84 है कि फर्द तलपट्टी तैयार की गई। मौके पर डिटेन में किये गये घरेलू गैस के 72 सिलेण्डर, कमर्शियल गैस के 12 सिलेण्डर, 2 रिफिलिंग मोटर जिन पर **AVDHOOT** कम्पनी **0.75** एचपी की एवं 1 **hi – tone 0.75** एचपी अंकित मय रिफिलिंग पाइप, 4 नोजल को गायत्री गैस एजेंसी के प्रबंधक मोहम्मद अश्फाक (मो.नं. 7597869796) की सुपुर्दगी में दिया गया। गायत्री गैस एजेंसी के प्रबंधक मोहम्मद अश्फाक (मो.नं. 7597869796) को घरेलू गैस के 72 सिलेण्डर एवं कमर्शियल गैस के 12 सिलेण्डर मय 2 रिफिलिंग मौटर, 4 रिफिलिंग पाइप एवं 4 नोजल को सुपुर्दगी में देकर हस्ताक्षर करवाये एवं राजसात होने तक सुरक्षित रखने हेतु निर्देशित किया गया। राजू सोनी पिता रतनलाल सोनी उम्र 50 साल (9314155541) **R/O** राजीव कॉलोनी मीरानगर चित्तौडगढ एवं गजेन्द्र कुमार पिता नगन नारायण तम्बोली उम्र 22 साल **R/O** मगरी थाना सागर सुल्तानपुर जिला शिवान बिहार हाल निवासी मं. 79 पन्नाधाय कॉलोनी चित्तौड़गढ़ का घरेलू गैस के अवैध भण्डारण एवं अवैध रिफिलिंग का यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत एलपीजी आदेश 2000 के अनुसार दण्डनीय है। अतः एल.पी. जी. आदेश 2000 के उपबंधों का उल्लंघन पाये जाने पर इस आदेश के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आवेदक द्वारा राजू सोनी पिता रतनलाल सोनी की दुकान से डिटेन किये गये घरेलू एवं कमर्शियल गैस के 84 सिलेण्डरों का वजन फर्द जप्ती के साथ पृथक् से तैयार कर संलग्न किया गया। इस प्रकार जब्तशुदा 72 सिलेण्डर एवं कमर्शियल गैस के 12 सिलेण्डर मय 2 रिफिलिंग मौटर, 4 रिफिलिंग पाइप एवं 4 नोजल के निस्तारण हेतु यह प्रकरण प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 25.08.2020 को विपक्षीगण की और से उनके अधिवक्ता ईनायत अली हाजिर आये अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। दिनांक

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.07.2021 को अधिवक्ता विपक्षीगण अथवा विपक्षीगण के हाजिर नहीं आने से विपक्षीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई।

दिनांक 06.10.2021 को पैरोकार सरकार प्रवर्तन अधिकारी हाजिर आये एवं प्रकरण में बहस पत्रावली का निवेदन किया गया। इस पर हाजिर पैरोकार सरकार को एक तरफा सुना गया। हाजिर पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक अथवा अन्य कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है। दिनांक 17.02.2020 को विपक्षी की दुकान पर जांच करने पर विपक्षी के दुकान में विपक्षी के कब्जे में 72 सिलेण्डर एवं कमर्शियल गैस के 12 सिलेण्डर मय 2 रिफिलिंग मौटर, 4 रिफिलिंग पाइप एवं 4 नोजल अनाधिकृत पाए गए जिनका कोई दस्तावेज विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक/अन्य उपयोग करना पाया गया जो एल.पी.जी रिग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन होने से धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त शुदा गैस सिलेण्डर मय गैस व अन्य सामग्री राजसात (Confiscate) किये जाने योग्य है। इसी ईशतदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली एक तरफा का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा विपक्षी की दुकान का मुआयना करने पर मौके पर विपक्षी की दुकान में विपक्षी के कब्जे में 72 सिलेण्डर एवं कमर्शियल गैस के 12 सिलेण्डर मय 2 रिफिलिंग मौटर, 4 रिफिलिंग पाइप एवं 4 नोजल अनाधिकृत रूप से भण्डारण करना पाया गया तथा मौके पर उक्त गैस सिलेण्डरों एवं सामग्री के संबंध में वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। विपक्षी न्यायालय में भी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है ऐसी स्थिति में पत्रावली पर विपक्षी की और से किसी भी प्रकार खण्डन रिकार्ड पर नहीं है। ऐसी स्थिति में विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों से अवैध गैस रिफलिंग कर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया, जो एल.पी.जी (रिग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन एवं धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों का अपनी दुकान पर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाता है। ऐसी स्थिति में विपक्षी से जब्त शुदा LPG गैस के घरेलू श्रेणी के कुल 72 सिलेण्डर एवं कमर्शियल गैस के

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

12 सिलेण्डर मय 2 रिफिलिंग मौटर, 4 रिफिलिंग पाइप एवं 4 नोजल एवं सिलेण्डरों में भरी हुई कुल **891.4 Kg.** गैस राजसात **(Confiscate)** किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी प्रवर्तक निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया **जाता है** एवं **दिनांक** 17.02.2020 को **प्रवर्तन** निरीक्षक द्वारा विपक्षीगण राजू सोनी पिता रतन लाल सोनी निवास स्थल **R/O** 29 राजीव कॉलोनी, मीरा नगर चित्तौड़गढ़ (मो.नं. 9[illegible]155541) एवं राजेन्द्र कुमार पिता नगन नारायण जाति तम्बोली उम्र 22 साल **R/O** मगरी थाना सागर सुल्तानपुर जिला शिवान, बिहार हाल निवासी मकान नं. 79 पन्नाधाय कॉलोनी चित्तौड़गढ़ से **विपक्षी** संख्या 1 के निवास स्थल 29 राजीव कॉलोनी, मीरा नगर चित्तौड़गढ़ से जब्त शुदा **LPG** गैस के घरेलू श्रेणी के कुल 72 सिलेण्डर एवं **कमर्शियल** गैस के 12 सिलेण्डर मय 2 रिफिलिंग मौटर, 4 रिफिलिंग पाइप एवं 4 नोजल एवं सिलेण्डरों में भरी हुई कुल **891.4 Kg.** गैस राजसात **(Confiscate)** करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी उक्त गैस सिलेण्डरों एवं अन्य सामग्री के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें। जब्तशुदा सामग्री के नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>06.10.2021</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(ताराचन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official